वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 11.02.2025

ऑनलाइन ऑक्शन में बिके ट्रांसपोर्ट नगर योजना के 82 में से 28 प्लॉट

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ऑनलाइन ऑक्शन में 82 में से 28 प्लॉट बिक गए। प्लॉट एफ 3 की सबसे अधिक बोली लगी है। इस प्लॉट की कीमत 44,64000 थी, जो बढ़ कर 70,08,480 रुपये हो गई।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, ऑक्शन की सुविधा 15 जनवरी से 6 फरवरी तक दी गई थी। इनमें मेडिकल वेस्ट फैक्ट्री, रिटेल शॉप, गोडाउन, एजेंसी, स्पेयर पार्ट, सर्विस सेंटर, ऑफिस आदि के लिए लोगों ने प्लाट लिए हैं। सफल ऑनलाइन ऑक्शन में कई बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निवेशकों की रुचि और विश्वास मजबूत हुआ है। वीडीए के अन्य 54 प्लॉटों के लिए ऑक्शन की सुविधा दी गई है, जो 28 फरवरी चलेगा। इच्छुक व्यक्ति बोली में भाग लेने के लिए https://eauction.vdavns.com पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

व्यावसायिक शमन मानचित्र के त्वरित निस्तारण के लिए कार्यशाला

वाराणसी वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर व्यावसायिक शमन मानचित्र के त्वरित निस्तारित करने के लिए सोमवार में वीडीए में कार्यशाला हुई। अधिकारियों को व्यावसायिक शमन मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान शमन मानचित्र आवेदनों की समीक्षा की गई। उनके शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। तकनीकी विशेषज्ञों ने अधिकारियों को मानचित्र स्वीकृति से जुड़े नए नियम की जानकारी दी। ब्यूरो

वीडीए की खबरें

वीडीए ने पांच अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए ने सोमवार को मुगलसराय सहित अन्य जगहों के पांच अवैध निर्माण सील कराए हैं। इनमें चंदौली का होटल रिंग्स लग्जरी भी शामिल है। होटल के ऊपरी हिस्से का निर्माण सील किया गया है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, सिकरौल वार्ड के गौतम विहार कॉलोनी निवासी अतुल कुमार गौतम को नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रखा। अब निर्माण सील करके पुलिस की देखरेख में दे दिया गया है। इसी तरह नगवा के कंदवा में अज्ञात के अवैध निर्माण को सील किया गया। कंचनपुर में अरविंद पटेल और शील नगर कॉलोनी तुलसीपुर में जिज्ञासु सिंह के अवैध निर्माण को सील किया गया। उधर, वीडीए ने सोमवार को शिवपुर वार्ड के बड़ागांव कैथौली बाबतपुर में 4 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। अज्ञात की ओर से यहां पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 11.02.2025

पांच निर्माणाधीन भवन हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को सिकरौल वार्ड में गौतम बिहार कालोनी में अतुल कुमार ने बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया था। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे अभियंताओं की टीम ने भवन स्वामी से मानचित्र मांगी जिसे उन्होंने दिखाने से मना कर दिया। जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता और सुपरवाइजर ने भवन को अनाधिकृत निर्माण मानकर सीज करते हुए संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया। कारवाई में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। इसी प्रकार मुगलसराय के पास एक भवन स्वामी ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण शुरू कर दिया था। जानकारी होने पर नोटिस की कारवाई की गयी थी। लेकिन भवन स्वामिनी ने निर्माण कार्य बंद नही किया और रात्रि अवकाश के समय काम जारी रखा। सोमवार को मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सिंह गौरव, जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव, क्षेत्रीय सुपरवाइजर के साथ भवन पर पहुंचे और उन्होंने सीज कर संबंधित थाने की प्रतिरक्षा में सौंप दिया। इसी प्रकार जोन चार नगवां में बिना स्वीकृति के भवन का निर्माण कराया जा रहा था। कंचनपुर वार्ड नगवां में अरविंद पटेल नामक व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन का निर्माण करा रहा था जबकि जिज्ञाशु सिंह ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध निर्माण का कार्य जारी रखा। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला एवं सोनू कुमार की देखरेख में कर्मचारियों ने नवनिर्मित भवनों को सील कर दिया और संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया।

दैनिक जागरण–दि0 11.02.2025

'ट्रांसपोर्ट नगर' में ऊंची कीमत पर बिके प्लाट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर योजना का आनलाइन आक्शन कर रहा है। प्लाट एफ3 को सबसे अधिक बोली प्राप्त हुई। इसका रिजर्व मूल्य 44,64,000 था। यह 57 प्रतिशत वृद्धि के साथ 70,08,480 में बिक गया। कुल 82 प्लाटों में से 28 प्लाट सफलतापूर्वक बिके। इन प्लाटों का उपयोग विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया था। इनमें मेडिकल वेस्ट फैक्टरी, आफिस, रिटेल शाप, गोडाउन एजेंसी, स्पेयर पार्ट सर्विस सेंटर शामिल हैं। आक्शन में कई बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। अन्य 54 प्लाटों के लिए आक्शन अभी लाइव है। जो 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इच्छुक व्यक्ति बोली में भाग लेने के लिए https://eauction.vdavns.com पर अभी रजिस्टर कर सकते हैं।

दैनिक जागरण–दि0 11.02.2025

विकास प्राधिकरण ने पांच निर्माण सील किए

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वीडीए की तीन टीमों ने सोमवार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में पांच भवन सील कर दिए। इसमें वार्ड सिकरौल के गौतम बिहार कालोनी मीरपुर बसही, वार्ड मुगलसराय के पड़ाव, जोन चार में कंदवा, कंचनपुर में कार्रवाई हुई। इससे अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया।

चार बीघा की प्लाटिंग ध्वस्त

वीडीए की टीम ने वार्ड शिवपुर अंतर्गत कथौली, बाबतपुर में लगभग चार बीघा में की गई प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से कराई जा रही थी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 11.02.2025

पीडीडीयू नगर में राखी जैन का सील किया गया होटल● जागरण

वीडीए ने रिंगस होटल का अवैध निर्माण एक बार फिर किया सील

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराया जा रहे हैं। उधर, वाराणसी विकास प्राधिकरण भी अवैध निर्माणों को सील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है।

इसी क्रम में सोमवार को नगर में अभी हाल ही में खुले रिंगस लग्जरी लाइन होटल पर वीडीए की ओर से कार्रवाई की गई। बेसमेंट पर पिलर खड़ाकर अवैध निर्माण करने पर वीडीए ने होटल के उस हिस्से को सील कर दिया। मुगलसराय कोतवाली पुलिस इसकी निगरानी करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में राखी जैन की ओर से होटल में बी 4 पर निर्माण कर पीलर खड़ा करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किया जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस भेजा गया था। इसके बावजूद (बी 4) निर्माण कर बेसमेंट पर पिलर खड़े किए जा रहे थे।

इस पर जोनल अधिकारी गौरव, जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव के साथ प्रवर्तन दल सोमवार को मौके पर पहुंचा। प्रवर्तन टीम ने निर्माण को अवैध मानते हुए सील कर दिया।

दैनिक जागरण–दि0 11.02.2025

चार अवैध निर्माण वीडीए ने किए सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को एक अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की और चार अवैध निर्माण सील किए। बाबतपुर के कथौली में 4 बीघा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई।

नगवा में दो हजार वर्गफीट में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण, 1500 वर्गफीट में हाइटेंशन तार के नीचे ग्राउंड फ्लोर, पड़ाव-मुगलसराय मार्ग पर चार मंजिला व्यावसायिक भवन, मीरापुर बसहीं में गौतम विहार कॉलोनी में दो मंजिला भवन सील किया। इसमें जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, सिंह गौरव जयप्रकाश, संजीव कुमार, आदर्श, सोनू, अशोक, प्रिया अग्रहरि आदि रहीं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 11.02.2025

वीडीए जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड- नगवां एवं भेलपूर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। सील किये गये निर्माणों का विवरण निमन्वत है: जोन-4 मे श्री अज्ञात, द्वारा कन्दवा वार्ड-नगवा, मे लगभग 2000 वर्गफिट के क्षेत्रफल मे (जी+3) तलों का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-4 मे श्री अरविन्द पटेल, द्वारा कंचनपुर वार्ड-नगवां, मे लगभग 1500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में हाईटेंशन तार के निचे भूतल पर निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-4 मे श्री जिज्ञासु सिंह द्वारा आराजी संख्या - 144/1, सील नगर कॉलोनी, तुलसीपुर वार्ड-भेलूपुर, मे लगभग (बी+जी+3) भूतल पर निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार,अवर अभियंता आदर्श निराला एवं सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 11.02.2025

वीडीए जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम में 10.फरवरी को वार्ड- सिकरौल के अन्तर्गत अतुल कुमार गौतम द्वारा गौतम विहार कॉलोनी, मीरपुर बसही मे लगभग 2550 वर्गफीट पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा- 27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 2550 वर्गफीट मे निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर अंतर्गत थाना की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी, मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 11.02.2025

वाविप्रा जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड- शिवपुर, थाना- बडगांव के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा मौजा- कथौली, बाबतपुर मे लगभग 4 बीघा में बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग किये जा रहे थे, अवैध प्लाटिंग को आज 10.02.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता विजय सिंह प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 11.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड- सिकरौल के अन्तर्गत अतुल कुमार गौतम द्वारा गौतम विहार कॉलोनी, मीरपुर बसही में लगभग 25×50 वर्गफीट पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 25×50 वर्गफीट में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर अंतर्गत थाना की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी, मौजूद रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 11.02.2025

वीडीए ने नगवा एवं भेलूपुर में अवैध निर्माण के विरूद्ध की कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड- नगवां एवं भेलपूर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। जोन-4 में श्री अज्ञात, द्वारा कन्दवा वार्ड-नगवा, में लगभग 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में (जी+3) तलों का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-4 में श्री अरविन्द पटेल, द्वारा कंचनपुर वार्ड-नगवां, में लगभग 1500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में हाईटेशन तार के निचे भूतल पर निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। साथ ही जोन-4 में श्री जिज्ञासु सिंह द्वारा आराजी संख्या - 144/1, सील नगर कॉलोनी, तुलसीपुर वार्ड-भेलुपुर, में लगभग (बी +जी +3) भूतल पर निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार,अवर अभियंता आदर्श निराला एवं सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।